[25/2/2016]

प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट परिशिष्ट 'अठारह'

प्रश्न सं. [क. 837]

निस्तिके क्षेत्र क्रांक 837 मानतीय क्षेत्रक व्या गरेक्ट्र केर क्रांक सदम में ने का हिनांक 25.2.16

APPENDIX A

मध्यप्रदेश स्वयद्भार विश्वेष (१) महान्य ३०१३

GUARANTEED STANDARDS OF PERFORMANCE AND LEVEL OF COMPENSATION PAYABLE TO CONSUMERS FOR DEFAULT IN EACH CASE

Service area	Guaranteed Standards	Compensation payable to affected consumer
(i). Responding to Norma	l Fuse-off Call and Rectification	IS
Cities and towns	Within 4 hours in all working days and Within 5 hours in all non working days.	Rs, 100 for each day for part
Rural areas	Within 24 hours	
(ii). Restoration of breaking/uprooting of po	supply on account of Lin les)	• 1
Cities and towns	Within 12 daylight hours	Rs. 100 for each day (or part thereof) of delay in restoration of supply.
Rural areas	Within 3 days	
(iii). Distribution Trans	former failure	
Replacement of transformer or restoration of supply in Commissionary head quarters	Within 12 hours	Rs. 109 each to all consumers served through the particular
Replacement of transformer or restoration of supply in urban areas other than Commissionary head quarters	Within 24 hours	transformer.
Replacement of transformer or restoration of supply in rural areas	Within 72 hours during dry weather and within seven days ruring monsoon season (July to September)	
(iv). Period of scheduled	outages (not exceeding four tim	es a year).
Maximum duration in a single stretch	Not to exceed 12 hours	Rs. 100 for each day (or part thereof) of delay.
(v). Meter Complaints		-
Inspect and check correctness	Within 7 days	Rs. 100 per week (or part thereof) of delay.
Replace slow, creeping or stuck up meters	Within 30 days in case of reral areas and within 15 days in case of urban areas	,
Replace burnt meters if	Within 7 days of receipt of	<u> </u>

म.प्र. शासन, ऊर्जा विका मंत्रालय, भोपाल

साराजिट 530 अवस्त 837 आवनी विकास्त व्या निर्देश करवाह स्त्र के केंद्रक दिनांच 25.2.16

175

मध्यप्रदेश सासान कर्जा विभाग नेत्रा**लय**

क्रमांक 10 257 2015 / तेरह

भोपाल, दिनांक 28/10/15

अपग्र ल

प्रति,

र्ववंध संचालक म.प्र. पूर्व/मध्य/परिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भीपाल/इन्दौर।

विषय:-जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्नरों की बदलने के संबंध में। संदर्ग:-विमाग का पत्र कमांक 6110/2014/तेरह दिनांक 12,09,20141 (<u>कायाप्रति संलग्न</u>)

जले / खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में विशाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र की दिनांक 31.05.2016 तक अधिक्रमित करते हुए निर्देशानुसार निम्नामुसार निर्देश दिए जाते हैं—

बकाया राशि की, 10 प्रतिशत राशि जमा होने पर ट्रांसफार्मर बदला जाएगा।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्तानुसार राशि जमा होने पर जले/खराब ट्रांसफार्मर बदलने को प्राथमिकता बेने हेतु भैदानी अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.05.2016 के पश्चात् संदर्भित पत्र के निर्देश स्वक्रक्तस्पृ रहेंगें।

.संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(मुकुल धारीवाल) 26/1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

भोपाल, दिनोक

21 प्रिलियः-

114:— प्रबंध संघालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित है। M D KM (मार्क BM) स्तिलना- अपरोक्तानुसार

> विशेष कर्त्तव्यस्य आधेकारी न.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

28.10.17

अनुभाग अधिकारी म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय, भोपाल